तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजस्व अपील संख्या 30/2021 (2021/58) **श्रीमती गंगादेवी वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) शेरगढ़ जिला जोधपुर वगैरा।**	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब उपस्थित। रेस्पो0 संख्या 02 के अधिवक्ता श्री बरकत खां मेहर उपस्थित। रेस्पो0 संख्या 02 के अधिवक्ता ने दिनांक 20.10.2022 को प्रार्थना–पत्र धारा 151 सी0 पी0 सी0 बाबत् अपीलाण्ट की अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से निरस्त करने बाबत् पेश की। प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। रेस्पो0 संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि अपीलान्ट्स ने अपील के जरिये समर्पणनामा निरस्त करने व समर्पणनामें में अंकित भूमि का अपीलान्ट्स के खाते में पुनः दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। समर्पणनामा एक विधिवत् लेख्य पत्र लिखित डीड की परिभाषा में आता है इस प्रकार के दस्तावेज को अपील के जरिये निरस्त करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 55 के तहत समर्पणनामा पंजीकृत व प्रमाणित हो जाने के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में धारा 55 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए यह अपील इस आधार पर विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है। बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय नजीर RRD 1991 PAGE NO 234 HEAD NOTE B PARA 10 की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि अनुसूची 3 में जहां तक धारा 55 का संबंध है, कोई प्रविष्टि नहीं है – इसलिए, तहसीलदार द्वारा 55 के तहत [illegible] आदेश के [illegible] कलेक्टर के पास कोई अपील नहीं होगी। अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने बहस में कहा कि अपील [illegible] जो आवेदन प्रस्तुत किया था उसमें भूमि को रास्ते के [illegible] में	

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:49 IST
Reason: SelfAttested

समर्पण करना नहीं बताया था। तहसीलदार के समक्ष समर्पणनामा प्रस्तुत करना तथा उस पर तहसीलदार द्वारा दिये गए आदेश के विरूद्ध अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार है तथा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के वृहद पीठ का न्यायिक निर्णय RRT 2018-19(Supp.) page no. 623 पेश करते हुए बतलाया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित 221 व 53 – आपसी समझौता के आधार पर विभाजन–तहसीलदार ने राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज परिवर्तन के सम्बन्ध में आदेश की पालना करने का निर्देश दिया – अतिरिक्त कलक्टर ने आदेश आपस्त किया और मामला प्रतिप्रेषित किया–बोर्ड की एकल पीठ ने मामला वृहद पीठ को प्रेषित किया–समझौता एक प्रार्थना–पत्र है और धारा 53 के नियम 18 के अन्तर्गत पारित आदेश एक आदेश है–धारा 53 के नियम 18 के अन्तर्गत पारित आदेश कलेक्टर के समक्ष अपील योग्य है। अतः उक्त निर्णय के अनुसरण में प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय है। रेस्पो0 संख्या का प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 में स्पष्ट किया गया कि " इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पर पारित अंतिम आदेश की तथा ऐसे अन्य आदेशों की जो धारा 212 में और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 104 में वर्णित है, अपील

(1) यदि ऐसा आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया जाता है तो कलक्टर को होगी "

रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत न्याय निर्णय RRD 1991 PAGE NO 234 में भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर अभिनिर्धारित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में धारा 53 विनिर्दिष्ट नहीं होने से धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कलक्टर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:49 IST
Reason: SelfAttested

को अपील Lie नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल ने निर्णय नजीर Gheesa & ors. v. Balu & anr. Revision No. 48/Tonk of 89, decided on 7th march, 1991. RRD 1991 PAGE NO 234 HEAD NOTE B PARA 10 में अभिनिर्धारित किया है कि "However the learned counsel for the applicant is right in saying that no appeal is provided against an order passed under section 55 of the R. T. Act Under the circumstances of the case the appeal before the Additional Collector could not have been filed under section 75 of the L. R. Act because the order of the Tehsildar is obviously under the Tenancy Act. Section 225 of the R. T. Act provides for a first appeal to the Collector against an order passed by Tehsildar but the appeal lies from an order passed on an application of the nature specified in the III Schedule, In the III Schedule there is no entry so far as section 55 of the R. T. Act is concerned. Therefore the contention that no appeal lay to the Additional Collector against the order passed by the Tehsildar on 11.11.82 is correct. The orders by the learned Additional Collector and the learned RAA will therefore have to be set aside and the case will have to be remanded to the Tehsildar." उक्त न्याय निर्णय इस प्रकरण में ग्राह्य है। अपीलार्थी की ओर से RRT 2018-19(Supp.) page no. 623 पर माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ का निर्णय धारा 53 के तहत तहसीलदार के समक्ष आपसी सहमति से बंटवाड़े से संबंधित है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत जिला कलक्टर को है अभिनिर्धारित किया है। चूँकि समर्पणनामा राज्य सरकार के पक्ष में किया जाता है जबकि आपसी सहमति से बंटवाड़ा सहखातेदारों के मध्य किया जाता है अतः अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय के तथ्य एवं अपील के तथ्य भिन्न–भिन्न होने से इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। परिणामस्वरूप रेस्पो[illegible] की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.9.2022 [illegible] योग्य है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:49 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचनानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपील पोषणीय नहीं होने के कारण अपील निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:49 IST
Reason: SelfAttested